

कार्यालय नगर परिषद, मधेपुरा।

पत्रांक 1105/

प्रेषक :

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, मधेपुरा।

सेवा में,

सम्पादक,
दैनिक जागरण, भागलपुर।
हिन्दुस्तान, भागलपुर।
प्रभात खबर, भागलपुर।

मधेपुरा, तिथि 13 दिसम्बर 2014


विषय : विज्ञापन प्रकाशन करवाने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में कहना है कि संलग्न विज्ञापन का प्रकाशन नगर परिषद, मधेपुरा के मधेपुरा संस्करण में अधिकतम 40 sq.cm. में प्रकाशित करने की कृपा की जाय।


विश्वासभाजन

संलग्नक : विज्ञापन की प्रति।


कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, मधेपुरा।

ज्ञापांक 1105/नगर परिषद, मधेपुरा, दिनांक 13/12/2014 /

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि NIC के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।


कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, मधेपुरा।

कार्यालय नगर परिषद्, मधेपुरा।

--: आवश्यक सूचना :-

नगर परिषद्, मधेपुरा के सभी निवासियों/व्यवसायियों/मांस-मछली विक्रेताओं/दुकानदारों को सूचित किया जाता है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 की धारा- 245 एवं 250 (ड) के आलोक में एवं दिनांक- 02.12.2014 को सशक्त स्थाई समिति के निर्णय के आलोक में नगर परिषद्, मधेपुरा (पशु मांस, मछली या कुक्कुट विक्रय) अनुज्ञप्ति विनियम- 2014 का प्रकाशन किया जा रहा है। यदि इस संदर्भ में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो 30 दिसम्बर- 2014 तक आपत्ति या सुझाव कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, मधेपुरा।

Vijal Kumar Bably
13.12.14
मुख्य पार्षद,
नगर परिषद्, मधेपुरा।

नगर परिषद्, मधेपुरा (पशु मांस, मछली या कुक्कुट विक्रय) अनुज्ञप्ति विनियम, 2014

(बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-345 अन्तर्गत)

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-139(ग) (सहपठित धारा 345 एवं 421) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर परिषद्, मधेपुरा ने अपने प्रस्ताव संख्या-..... दिनांकके द्वारा इस विनियम को विनियमित किया है, ताकि मान खाद्य के लिए आयातित व्यापार करने वाले कसाई, मत्स्य व्यापारी, कुक्कुटवाला, पशु मांस आयातकर्ता के व्यवसाय को नियमित किया जा सके। राज्य सरकार के अनुमोदनोपरान्त अधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से यह प्रभावी हो जायेगा।

1. व्यापारी की शर्त :-

नगरपालिका पदाधिकारी या इस निमित्त उनके द्वारा प्राधिकृत अन्य पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त अनुज्ञप्ति के बिना अथवा उनके अनुरूप से अन्यथा मान खाद्य के लिए आयातित व्यापार करने वाले कसाई, मत्स्य व्यापारी, कुक्कुटवाला, पशु मांस आयातकर्ता को कोई व्यक्ति व्यापार नहीं करेगा और न मानव खाद्य के आयातित पशु मांस, मछली या कुक्कुट की बिक्री हेतु किसी स्थान का उपयोग करेगा।

2. पशु मांस, मछली या कुक्कुट के बिक्री के लिए अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र :-

जैसे ही किसी व्यक्ति द्वारा पशु मांस, मछली या कुक्कुट के व्यवसाय हेतु विनिश्चय किया जायेगा वह सर्वप्रथम इस विनियम के अनुसूची में उल्लेखित आवेदन पत्र मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के पास में प्रस्तुत करेगा। अगर कोई व्यक्ति पहले से ही पशु मांस, मछली या कुक्कुट के व्यवसाय में हो तो वह इस विनियम के समाचार-पत्र में प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि में निर्दिष्ट प्रपत्र में आवेदन जमा करेगा तथा इसमें असफल होने पर पकड़े जाने पर प्रत्येक बार 2,000/- (दो हजार रुपये) अर्थदंड के साथ जब्ती (Seizure) की कार्रवाई की जायेगी।

3. प्राप्त आवेदन पर कार्रवाई :-

नगर परिषद्, मधेपुरा के मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा प्राप्त पत्र को अनुज्ञप्ति निरीक्षक या किसी अन्य प्राधिकृत कार्मिक को सौंपेंगे, जो स्थल निरीक्षण कर अपना प्रतिवेदन मूल आवेदन के साथ पटना नगर निगम के मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को समर्पित करेगा।

4. आवेदन-पत्र का निस्तार :-

मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन पर विचार करेंगे तथा अंतिम निर्णय लेंगे। परन्तु आवेदन-पत्र रद्द किये जाने की स्थिति में आवेदन-पत्र रद्द करने का कारण अभिलिखित कर आवेदक को सूचित किया जायेगा।

5. अनुज्ञप्ति का निर्गम :-

मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा इस विनियम के अनुसूची-2 में उल्लिखित प्रपत्र में अनुज्ञप्ति पत्र निर्गत किया जायेगा।

अनुज्ञप्ति पर निगम की मोहर तथा मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर होगा।

6. अनुज्ञप्ति शुल्क :-

अनुज्ञप्ति पत्र निर्गत किये जाने से पूर्व आवेदक को अनुज्ञप्ति शुल्क के रूप में 2,000/- (दो हजार) रु० जमा करना होगा, जिसके लिए आवेदक को मधेपुरा नगर परिषद् द्वारा पावती रसीद दी जायेगी। आवेदक यदि गरीबी रेखा के नीचे वर्ग के हो तो उनसे अनुज्ञप्ति शुल्क न लेकर मात्र 20/- (बीस) रुपये आदेशिका शुल्क लिया जायेगा।

7. **अनुज्ञप्ति हेतु प्राप्त आवेदन-पत्र अस्वीकृत किया जाना :-**

अनुज्ञप्ति के लिए प्राप्त आवेदन को अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में अस्वीकृति का कारण जैसा कि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा अभिलिखित किया गया हो को एक माह के भीतर आवेदक को सूचित कर दिया जायगा।

8. **अनुज्ञप्ति का नवीकरण :-**

इस विनियम के अनुसूची-1 में उल्लेखित आवेदन-पत्र ससमय वार्षिक शुल्क रू0 2,000/- (दो हजार) के साथ प्राप्त होने पर अनुज्ञप्ति नवीनीकृत की जायेगी। विलम्ब की स्थिति में आवेदक को वार्षिक शुल्क के साथ रू0 300/- (तीन सौ) रू0 प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्क जमा करना पड़ेगा। किन्तु अनुज्ञप्ति की अन्तिम तिथि के बाद तीन माह तक ही विलम्ब शुल्क लेकर अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण किया जायेगा। किसी भी स्थिति में तीन माह के बाद अनुज्ञप्ति का नवीकरण नहीं किया जायेगा, व्यवसाय परिसर को निगम द्वारा बंद कर दिया जायगा और दंड सहित बकाया वसूली की प्रक्रिया पटना नगर निगम "कर एवं गैर-कर वसूली एवं संग्रहण विनियम 2013" के प्रावधानों के अध्याधीन की जायेगी।

9. **अनुज्ञप्ति की शर्त एवं बन्धेज :-**

- (9.1) कोई भी व्यक्ति पशु से प्राप्त मांस की बिक्री या बिक्री की नुमाईश तबतक नहीं करेगा, जबतक कि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी इस हेतु सामान्य आदेश द्वारा इस आशय की अपेक्षित मुहर ऐसी रीति से पशु पर न लगी हो कि पशु का बध नगर निगम के या कोई अनुज्ञप्ति प्राप्त कसाईखाना में किया है।
- (9.2) वायुरुद्ध या वायुरुद्धपूर्वक सीलबंद पात्र/गोदाम में रखें परिरक्षित पशु मांस या मछली की बिक्री या विक्रय भंडारण के लिए उपयोग में लाये गये किसी स्थान हेतु कोई अनुज्ञप्ति नहीं होगी।
- (9.3) अनुज्ञप्ति की शर्तों को विनिर्दिष्ट करते हुए मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी की अपेक्षा हो सकती है कि अनुज्ञप्तिधारी जीवन, स्वास्थ्य या संपत्ति के खतरा के विरुद्ध अथवा किसी प्रकार के लोककंटक के उपशमन के लिए सभी या ऐसा कोई कार्रवाई करे जैसा उन्हें उचित प्रतीत होता हो।
- (9.4) अनुज्ञप्ति को निश्चित रूप से अनुज्ञप्ति की अन्तिम तिथि से एक माह पूर्व नवीनीकृत करा लेना होगा।
- (9.5) इस विनियम में वर्णित व्यवसाय हेतु उपयोग में लाए जाने वाले सभी अनुज्ञप्त परिसरों को साफ-सुथरा रखा जायेगा ताकि यह मानवीय स्वास्थ्य हितों के विरुद्ध नहीं हो।
- (9.6) वर्णित किसी भी व्यवसाय का अवशेष, कुड़ा-करकट या ऐसा पदार्थ जो हानिकारक दुर्गन्ध फैलाता हो, को प्रतिदिन परिसर से हटाया जायगा तथा ऐसे स्थान पर जमा किया जायगा जो मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा निर्धारित की जाय।

10. **अनुज्ञप्ति का निलम्बन या निरस्तीकरण :-**

निम्नांकित किसी भी शर्त के उल्लंघन पर मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति को निलम्बित कर दी जायेगी :-

- (i) व्यवसाय परिसर या उसके अगल-बगल अस्वच्छता की स्थिति में,
- (ii) व्यापारी द्वारा किया जा रहा कोई खतरनाक कृत जो अन्य लोगों के लिए परिसंकटमय हो,
- (iii) एक पशु का बध दूसरे के सामने करने की क्रूरता दिखायी गई हो,
- (iv) कोई ऐसा कृत, जो पर्यावरण प्रदूषण कारक हो,
- (v) यदि प्राधिकृत पदाधिकारी ने गलत अनुज्ञप्ति जारी की हो जो बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-338 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।
- (vi) किसी नियम या विनियम का उल्लंघन होने पर वाणिज्यिक परिसर बंद कर दिया जाएगा।
- (vii) यदि लाईसेन्सींग पदाधिकारी की दृष्टि में गैर-आवासीय परिसर या वाणिज्य से जनसाधारण के सामान्य स्वास्थ्य के लिए संकट उत्पन्न होता होगा, यातायात में बाधा पहुँचाती हो, तो उस अनुज्ञप्ति को निलम्बित/रद्द किया जा सकता है।

11. अनुज्ञप्ति का प्रदर्शन :-

अनुज्ञप्तिधारी को व्यवसाय परिसर में ऐसे स्थान पर प्रदर्शित करेगा, जहाँ परिसर में आनेवाले सभी दर्शकों की दृष्टि आसानी से जा सके।

12. व्यवसाय परिसर का निरीक्षण :-

मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी (नगर निगम) कार्यपालक पदाधिकारी, सामान्य या विशेष अधिनस्थ किसी पदाधिकारी को व्यवसाय परिसर के निरीक्षण हेतु प्रतिनियुक्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सफाई निरीक्षक या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी समय-समय पर व्यवसाय परिसर का समय-समय पर निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि अनुज्ञप्तिधारी उसी श्रेणी का व्यवसाय कर रहा है, जिसकी अनुज्ञप्ति निर्गत है या पटना नगर निगम का अनुमोदन प्राप्त किए बिना ही श्रेणी बदल दी गयी है या अनुज्ञप्ति की सभी शर्तों का पालन किया जा रहा है। किसी अनियमितता या अनुपालन नहीं होने पर कारण पृच्छा का अवसर प्रदान कर अनुज्ञप्ति को निलंबित किया जा सकेगा।

13. कठिनाईयों का निराकरण :-

यदि इस विनियम के लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो उस मामले में इस विनियम के उपबंधों के संगत कठिनाई के निराकरण के लिए मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी स्थिति के अनुरूप कार्रवाई करेंगे।

अनुसूची-एक

नगर परिषद्, मधेपुरा आवेदन-पत्र संख्या
पशु मांस मछली या कुक्कुट के व्यवसाय का अनुज्ञप्ति आवेदन-पत्र
(बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 345 के अधीन)

आवेदन सं० :-

आवेदक का नाम :-

आवेदक के पिता/पति का नाम :-

व्यवसायिक प्रतिष्ठान का नाम (अगर कोई हो) :-

प्रतिष्ठान का पुरा पता (होलिडिंग, वार्ड, मुहल्ला, पो० एवं थाना के साथ) :-

घृति धारक का नाम तथा पता :-

आवेदक का स्थायी पता :-

वैट सं०/पैन सं० (अगर है तो) :-

व्यवसायिक परिसर () अपना () किराये का

यदि किराया का है तो निम्न लिखित विवरण दिया जाय :-

सम्पत्ति के मालिक का नाम :-

वर्तमान पता :-

आवेदक का
फोटो

घोषणा पत्र

मैं यह घोषित करता हूँ कि उपर दी गई सभी सूचनायें मेरी जानकारी में सही है तथा किसी भी गलत सूचना के लिए मैं जिम्मेवार रहूँगा।

किसी भी गलत एवं भ्रामक सूचना के लिए मेरे विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार पटना नगर निगम के पास सुरक्षित रहेगा।

आवेदक का हस्ताक्षर

संलग्न किए जाने वाले अभिलेख :-

1. यदि आवेदक घृति के मालिक है तो सम्पत्ति का भुगतान की रसीद
2. यदि परिसर किराया/पट्टा पर है तो एकरारनामा या किराया का विपत्र
3. यदि सेवा कर/वैट में निबंधित है तो वैट/सेवा कर रिटर्न
4. नवीकरण की दशा में पुरानी अनुज्ञप्ति की छाया प्रति।
5. यदि गरीबी रेखा के नीचे है तो प्रमाण-पत्र/ (यदि छुट का दावा किया गया हो)

पावती रसीद

श्री जो होल्डींग नं०- वार्ड नं०- मुहल्ला
थाना पो० के निवासी है से पशु मांस/मछली/कुक्कुट
व्यवसाय के अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र संख्या- प्राप्त किया।

प्राप्त कर्ता
नगर परिषद्, मधेपुरा

अनुसूची-दो

नगर परिषद, मधेपुरा

पशु मांस मछली या कुक्कुट के व्यवसाय का अनुज्ञप्ति
(बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 345 के अधीन)

आवेदन सं० :-

अनुज्ञप्ति निर्गत होने की तिथि :-

व्यवसाय का नाम :-

अनुज्ञप्ति की अवधि से तक

अनुज्ञप्तिधारी का नाम :-

अनुज्ञप्तिधारी के पिता/पति का नाम :-

अनुज्ञप्तिधारी का पुरा पता :-

व्यवसाय परिसर (होलिडिंग, प्लॉट, वार्ड, मुहल्ला, थाना एवं पोस्ट के साथ) :-

अनुज्ञप्ति शुल्क की राशि :-

भुगतान रसीद नं० एवं दिनांक

यह अनुज्ञप्ति निर्गत होने की तिथि या नवीनीकरण की तिथि से एक वर्ष तक मान्य रहेगी बशर्ते कि वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क जमा कर दिया गया है।

अनुज्ञप्ति की शर्तें एवं बंधेज :-

1. अनुज्ञप्तिधारी को आयुक्त नगर परिषद, मधेपुरा द्वारा समय-समय पर लागू नियमों, विनियमों तथा आदेशों का अनुपालन करना होगा।
2. किसी नियम या विनियम का उल्लंघन होने पर अनुज्ञप्ति निलंबित मानी जाएगी तथा इस अवधि में परिसर बंद रखा जाएगा।
3. कोई भी व्यक्ति पशु से प्राप्त मांस की बिक्री या बिक्री की नुमाईश तबतक नहीं करेगा, जबतक कि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी इस हेतु समान्य आदेश द्वारा इस आशय की अपेक्षित मुहर ऐसी रीति से पशु पर न लगी हो कि पशु का बंध नगर निगम के या कोई अनुज्ञप्ति प्राप्त कसाईखाना में किया गया है।
4. वायुरुद्ध या वायुरुद्धपूर्वक सीलबंद पात्र/गोदाम में रखें परिरक्षित पशु मांस या मछली की बिक्री या विक्रय भंडारण के लिए उपयोग में लाये गये किसी स्थान हेतु कोई अनुज्ञप्ति नहीं होगी।
5. अनुज्ञप्ति की शर्तों को विनिर्दिष्ट करते हुए मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी की अपेक्षा हो सकती है कि अनुज्ञप्तिधारी जीवन, स्वास्थ्य या संपत्ति के खतरा के विरुद्ध अथवा किसी प्रकार के लोककंटक के उपशमन के लिए सभी या ऐसा कोई कार्रवाई करे जैसा उन्हें उचित प्रतीत होता हो।
6. अनुज्ञप्ति को निश्चित रूप से अनुज्ञप्ति की अन्तिम तिथि से एक माह पूर्व नवीनीकृत करा लेना होगा।

आवेदक का
फोटो

7. इस विनियम में वर्णित व्यवसाय हेतु उपयोग में लाए जाने वाले सभी अनुज्ञप्त परिसरों को साफ-सुथरा रखा जायेगा ताकि यह मानवीय स्वास्थ्य हितों के विरुद्ध नहीं हो।
8. वर्णित किसी भी व्यवसाय का अवशेष, कुड़ा-करकट या ऐसा पदार्थ जो हानिकारक दुर्गन्ध फैलाता हो, को प्रतिदिन परिसर से हटाया जायगा तथा ऐसे स्थान पर जमा किया जायगा जो मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा निर्धारित की जाय।

9. अनुज्ञप्ति का निलम्बन या निरस्तीकरण :-

निम्नांकित किसी भी शर्त के उल्लंघन पर मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति को निलम्बित कर दी जायेगी :-

- (i) व्यवसाय परिसर या उसके अगल-बगल अस्वच्छता की स्थिति में,
- (ii) व्यापारी द्वारा किया जा रहा कोई खतरनाक कृत जो अन्य लोगों के लिए परिसंकटमय हो,
- (iii) एक पशु का बंध दूसरे के सामने करने की क्रूरता दिखायी गई हो,
- (iv) कोई ऐसा कृत, जो पर्यावरण प्रदूषण कारक हो,
- (v) यदि प्राधिकृत पदाधिकारी ने गलत अनुज्ञप्ति जारी की हो जो बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-338 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।
- (vi) किसी नियम या विनियम का उल्लंघन होने पर वाणिज्यिक परिसर बंद कर दिया जाएगा।
- (vii) यदि लाईसेन्सींग पदाधिकारी की दृष्टि में गैर-आवासीय परिसर या वाणिज्य से जनसाधारण के सामान्य स्वास्थ्य के लिए संकट उत्पन्न होता होगा, यातायात में बाधा पहुँचाती हो, तो उस अनुज्ञप्ति को निलम्बित/रद्द किया जा सकता है।

10. अनुज्ञप्ति का प्रदर्शन :-

अनुज्ञप्तिधारी को व्यवसाय परिसर में ऐसे स्थान पर प्रदर्शित करेगा, जहाँ परिसर में आनेवाले सभी दर्शकों की दृष्टि आसानी से जा सके।

12. व्यवसाय परिसर का निरीक्षण :-

मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी (नगर निगम) कार्यपालक पदाधिकारी, सामान्य या विशेष अधिनस्थ किसी पदाधिकारी को व्यवसाय परिसर के निरीक्षण हेतु प्रतिनियुक्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सफाई निरीक्षक या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी समय-समय पर व्यवसाय परिसर का समय-समय पर निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि अनुज्ञप्तिधारी उसी श्रेणी का व्यवसाय कर रहा है, जिसकी अनुज्ञप्ति निर्गत है या पटना नगर निगम का अनुमोदन प्राप्त किए बिना ही श्रेणी बदल दी गयी है या अनुज्ञप्ति की सभी शर्तों का पालन किया जा रहा है। किसी अनियमितता या अनुपालन नहीं होने पर कारण पृच्छा का अवसर प्रदान कर अनुज्ञप्ति को निलम्बित किया जा सकेगा।

मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी/प्राधिकृत पदाधिकारी
नगर परिषद, मधेपुरा